न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—198 / 2024 / 225 आर.टी.एक्ट (2024 / 198)

1. घीसा पुत्र मांगिया, जाति कुम्हार निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सूरजकरण पुत्र रामा, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर।
2. गोपी पुत्र रामा, जाति कुम्हार निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर।
3. छगनी पुत्री रामा जाति कुम्हार निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर।
4. भंवरलाल पुत्र रामा जाति कुम्हार निवासी ग्राम कालानाडा तहसील अंराई जिला अजमेर।
5. बैंक ऑफ बडौदा कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अंराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अंराई जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 राजस्व वाद संख्या 112 / 2024.

उपस्थितः—

1. श्री प्रवीण परमार अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री अनिल तोरानी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6

निर्णय

दिनांकः— 11.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 112 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट खसरा संख्या 595 ग्राम कालानाडा तहसील अंराई का रिकार्डेड खातेदार है जिसके बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अंराई के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी अंराई द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अपीलांट को साधारण नोटिस जारी किए एवं तदउपरांत न्यायालय के

आदेश के बिना रजिस्टर्ड नोटिस की डिलीवरी रिपोर्ट दिनांक 18.08.2023 एवं उसके उपरांत दिनांक 02.02.2024 का अंकन आदेशीका में करने के पश्चात दिनांक 03.05.2024 को अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए तहसीलदार अंराई की रिपोर्ट दिनांक 06.03.2024 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2024 द्वारा रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डी0एल0सी0 के दोगुणा दर पर अपीलांट की कृषि भूमि खसरा संख्या 595 में से रास्ता स्वीकृत कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 112/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंराई द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही विधिवत तामील न करवा कर की गई है जिस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.05.2024 की जानकारी कभी नहीं रही अपीलांट को उक्त निर्णय दिनांक 03.05.2024 की जानकारी हल्का पटवारी कालानाडा से दिनांक 06.09.2024 ज्ञात हुई जब पटवारी द्वारा मौके पर आकर अपीलांट को बताया गया कि उसकी कृषि भूमि खसरा नम्बर 595 में से न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.05.2024 द्वारा रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लगायत 4 को रास्ता स्वीकृत किया जा रहा है। अपीलांट अनपढ ग्रामीण एवं वृद्ध गरीब व्यक्ति है जिसे अपील प्रस्तुत करने बाबत उनके अधिवक्ता द्वारा राय दिए जाने के पश्चात आवश्यक खर्चो आदि का इंतजाम करने में हुई मामूली देरी को क्षमा किया जाना अति आवश्यक है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंराई द्वारा अपीलार्थी को विधिवत नोटिस तामील कराए बिना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। किसी भी पक्ष को सुने बिना निर्णय न दिया जाए न्याय का मूलभूत सिद्धांत है। जब किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया जाता, तो ऐसा आदेश स्वतः ही अवैध एवं शून्य हो जाता है। दिनांक 27.9.2022 से 4. 8.2023 तक प्रकरण नियमित रूप से तलबी हेतु नियत रहा। इस अवधि में रेस्पोडेंट्स ने अनेक बार तलबी हेतु समय चाहा और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय भी दिया गया, किंतु रेस्पोडेंट्स ने कभी भी तलबी हेतु नोटिस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। दिनांक 04–08–2023 को रेस्पोंडेंट्स ने पुनः तलबी हेतु समय चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अगली तारीख 18–08–2023 नियत की। दिनांक 18–08–2023 को रेस्पोंडेंट्स ने अपीलार्थी के विरुद्ध रजिस्टर्ड डाक से तथाकथित तामील कराकर डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया कि "सही डिलीवरी रिपोर्ट" प्रस्तुत करे। उक्त डिलीवरी रिपोर्ट न तो सही थी और न ही रजिस्टर्ड तमिल न्यायालय की पूर्व अनुमति से कराई गई थी। CPC के आदेश 5 के अनुसार, न्यायालय के आदेश के बिना रजिस्टर्ड डाक से तामील कराना विधि सम्मत नहीं है। सही डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत न होने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को पुनः विधिवत नोटिस तामील कराने हेतु आदेश पारित करना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। यह आदेश 5 सीपीसी के प्रावधानों के प्रतिकूल है। रेस्पोंडेंट्स ने बिना किसी आदेश के दिनांक 16–08–2023 को तथाकथित रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत किया, जो 17–08–2023 को जारी हुआ और जिसकी तथाकथित डिलीवरी रिपोर्ट दिनांक 17–08–2023 की है, जिसे 18–08–2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जबकि रजिस्टर्ड नोटिस के माध्यम से तामील हेतु सामान्यतः 30 दिवस की समयावधि न्यायोचित मानी जाती है। अतः रेस्पोडेन्टस द्वारा बिना आदेश के कराई गई उक्त तथाकथित तामील विधिक दृष्टि से अवैध है और उस पर आधारित समस्त कार्यवाही शून्य है। अतिरिक्त रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी नोटिस के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27–09–2022 से

04–08–2023 तक कहीं भी यह अंकित नहीं है कि उक्त नोटिस अपीलार्थी को विधिवत रूप से तामील हुआ था अथवा नहीं। अतः इस संबंध में कोई विधिक प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी को विधिक प्रक्रिया अनुसार तामील ही नहीं कराई गई। दिनांक 04–08–2023 को रेस्पोंडेंट्स ने पुनः तलबी हेतु समय चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अगली तारीख 18–08–2023 नियत की। दिनांक 18–08–2023 को रेस्पोंडेंट्स ने अपीलार्थी के विरुद्ध रजिस्टर्ड डाक से तथाकथित तामील कराकर डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिया कि "सही डिलीवरी रिपोर्ट" प्रस्तुत करे। उक्त डिलीवरी रिपोर्ट न तो सही थी और न ही रजिस्टर्ड तमिल न्यायालय की पूर्व अनुमति से कराई गई थी। सीपीसी के आदेश 5 के अनुसार, न्यायालय के आदेश के बिना रजिस्टर्ड डाक से तामील कराना विधि सम्मत नहीं है। सही डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत न होने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को पुनः विधिवत नोटिस तामील कराने हेतु आदेश पारित करना चाहिए था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। यह आदेश 5 सीपीसी के प्रावधानों के प्रतिकूल है। रेस्पोंडेंट्स ने बिना किसी आदेश के दिनांक 16–08–2023 को तथाकथित रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत किया, जो 17–08–2023 को जारी हुआ और जिसकी तथाकथित डिलीवरी रिपोर्ट दिनांक 17–08–2023 की है, जिसे 18–08–2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जबकि रजिस्टर्ड नोटिस के माध्यम से तामील हेतु सामान्यतः 30 दिवस की समयावधि न्यायोचित मानी जाती है। अतः रेस्पोडेंन्टस द्वारा बिना आदेश के कराई गई उक्त तथाकथित तामील विधिक दृष्टि से अवैध है और उस पर आधारित समस्त कार्यवाही शून्य है। पूर्व में जारी नोटिस के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27–09–2022 से 04–08–2023 तक कहीं भी यह अंकित नहीं है कि उक्त नोटिस अपीलार्थी को विधिवत रूप से तामील हुआ था अथवा नहीं। अतः इस संबंध में कोई विधिक प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी को विधिक प्रक्रिया अनुसार तामील ही नहीं कराई गई। दिनांक 02–02–2024 को प्रस्तुत तथाकथित डिलीवरी रिपोर्ट पर अंकित दिनांक 17–08–2023 है, जबकि न्यायालय ने 18–08–2023 को रेस्पोंडेंट्स को "सही डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने" का आदेश दिया था। अतः 17–08–2023 की तथाकथित डिलीवरी रिपोर्ट का 02–02–2024 को, लगभग पाँच माह बाद प्रस्तुत किया जाना विधिक दृष्टि से अवैध एवं अप्रामाणिक है। उक्त तथाकथित डिलीवरी रिपोर्ट न तो जारीकर्ता विभाग से प्रमाणित है, न उस पर विभागीय मोहर अथवा जारीकर्ता के हस्ताक्षर हैं और न ही प्राप्तकर्ता की उपस्थिति अथवा हस्ताक्षर अंकित है। इससे यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि प्रस्तुत डिलीवरी रिपोर्ट अप्रामाणिक एवं अविश्वसनीय है। तहसीलदार अराई ने तथ्यों के विपरीत मौके की रिपोर्ट तैयार की और यह दर्शाया कि अपीलार्थी पक्ष मौके पर उपस्थित नहीं हुआ अथवा उनके हस्ताक्षर मौके की रिपोर्ट पर नहीं है। यह रिपोर्ट बिना किसी विधिक सूचना के अपीलार्थी को बुलाए एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। जब अपीलार्थी को धारा 251ए के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार कोई समन तामील ही नहीं कराए गए, तो उनकी उपस्थिति अथवा हस्ताक्षर का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट तथा संलग्न नक्शा अविश्वसनीय है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

साथ ही तहसीलदार की रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया है कि खसरा संख्या 555 गैर मुमकिन रास्ता आगे खातेदारी भूमि होने के कारण राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि खसरा संख्या 555 राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में विधिवत दर्ज है। तहसीलदार अराई की मौके की रिपोर्ट दिनांक 04–03–2024 सलग्न नक्शे में अंकित तथ्यों से प्रत्यक्षतः विरोधाभासी है। मौके के नक्शे में अंकित है कि "खसरा संख्या 555 का रास्ता खातेदारी भूमि होने के कारण बंद है तथा मौके की रिपोर्ट में बिंदु संख्या 1 अंकित करने के पश्चात उसमें ही अलग से जोड़ा गया है, जिसमें अंकित कर दिया गया है कि खसरा संख्या 555 गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 593 से लगायत है, लेकिन आगे खातेदारी भूमि के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।" इस प्रकार मौके के नक्शे में कुछ और अंकित है एवं मौके की रिपोर्ट में कुछ और, जो प्रत्यक्ष रूप से विरोधाभासी है। इससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा तैयार रिपोर्ट पूर्णतः अविश्वसनीय एवं कार्यालय में तैयार की गई प्रतीत होती है। खसरा संख्या 555 गैर मुमकिन रास्ता रेस्पोंडेंट्स की कृषि भूमि खसरा संख्या 593 एवं 594 से सीधा जुड़ता है। रेस्पोंडेंट्स इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि तक आवागमन करते हैं। अर्थात् रेस्पोंडेंट्स के पास अपनी भूमि (खसरा संख्या 593 एवं 594) तक पहुँच हेतु खसरा संख्या 555 गैर मुमकिन रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए केवल उसी स्थिति में लागू होती है जब मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता (absolute necessity) सिद्ध हो तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो। इस धारा के अंतर्गत नया रास्ता स्वीकृत करने हेतु दो शर्ते अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए। मार्ग की आवश्यकता अत्यंत अपरिहार्य, अन्य किसी वैकल्पिक मार्ग का अभाव हो। अतः जब रेस्पोडेंट्स के लिए खसरा नम्बर 555 गैर मुमकिन रास्ता पहले से ही उपलब्ध है, तो उनकी मात्र सुविधा के लिए अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से नया मार्ग स्वीकृत करना विधि के विपरीत एवं न्यायोचित नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 112/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2007 (1) आरआरटी 125 एस0सी0, 2007 (2) आरआरटी 1123 एस0सी0, आर0एल0डब्ल्यू 2014 (2)आर0जे0 1198, 2021 आरबीजे 299, 2020(4) डीएनजे एस0सी0 1236, आरबीजे (11) 2004, 2022 आरबीजे 436 प्रस्तुत किया।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कालानाडा पटवार हल्का कालानाडा तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 593 रकबा 1.4481 है0 तथा खसरा संख्या 594 रकबा 0.7362 हैक्टेयर स्थित है, जिसके समीप ही अपार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 595 रकबा 0.7847 हैक्टेयर स्थित प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में जोत सिंचाई तथा अन्य कृषिकार्य के लिये खसरा संख्या 595 से ही आते जाते रहें हैं लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है तथा खसरा संख्या 588 जो कि सबका शामलाती कुंआ है

जिसके लिये सबसे निकटतम रास्ता यही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में सिचाई तथा आने जाने के लिये 10 फीट चौडा रास्ता दिया जावे, जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 595 रकबा 0.7847 हैक्टेयर में से 10 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 03.05.2024 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2022 को दर्ज किया गया तथा दिनांक 04.08.2023 तक प्रकरण अप्रार्थीगण/अपीलांट की तलबी हेतु नियत रहा। परंतु इस अवधि के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में नोटिस तामील बाबत किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। दिनांक 18.08.2023 को प्रार्थी/रेस्पोडेंट के अभिभाषक द्वारा सीधे ही रजिस्टर्ड एडी नोटिस की रिपोर्ट पेश की गई। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही डिलीवरी रिपोर्ट पेश करने बाबत आदेश दिए गए। चूंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सर्वप्रथम साधारण नोटिस से तामील कराई जाती है तत्पश्चात रजिस्टर्ड एडी नोटिस से तामील प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है। परंतु वर्तमान प्रकरण में किस पक्षकार के नोटिस तामील हुए या नहीं इस बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना आदेशिका में अंकित नहीं है व बिना न्यायालय आदेश के प्रार्थी/रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा रजिस्टर्ड एडी नोटिस प्रस्तुत किए गए। इससे स्पष्ट है कि उक्त डिलीवरी रिपोर्ट न तो सही थी और न ही रजिस्टर्ड तामील न्यायालय की पूर्व अनुमति से कराई गई थी। सही डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी/रेस्पोडेंट को पुनः विधि अनुसार नोटिस तामील कराने हेतु आदेश पारित करना चाहिए था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर दिनांक 02.02.2024 को प्रार्थी/रेस्पोडेंट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड एडी द्वारा अपीलांट/अप्रार्थीगण की तलबी मानते हुए प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उक्त कार्यवाही **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5** के प्रावधानों के प्रतिकूल है। चूंकि रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा बिना किसी आदेश के दिनांक 16.8.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत किए जो दिनांक 17.08.2023 को जारी हुए और जिसकी डिलीवरी रिपोर्ट दिनांक 17.08.2023 की है, जिसे 18.08.

2023 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जबकि रजिस्टर्ड नोटिस के माध्यम से तामील हेतु सामान्यतः 30 दिवस की समयावधि न्यायोचित मानी जाती है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.10.2022 से दिनांक 04.08.2023 तक कहीं भी यह अंकित नहीं है कि उक्त नोटिस अपीलार्थी को विधिवत रूप से तामील हुआ था अथवा नहीं इससे सिद्ध है कि अपीलार्थी को विधिक प्रक्रिया अनुसार तामील ही नहीं कराई गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बनाई गई है क्यों कि अपीलार्थी को इस बाबत कोई विधिक सूचना ही नहीं थी ना उन्हें सम्यक रूप से नोटिस तामील हुए तो मौका रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर करने या ना करने का प्रशन ही उत्पन्न नहीं होता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में अप्रार्थीगण/अपीलांट ने हस्ताक्षर नहीं किए बाबत अंकन किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में *"ग्राम कालानाडा के खसरा नम्बर 593 व 594 में खसरा नम्बर 583 से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 595 में से होते हुए रास्ते के अतिरिक्त मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है। खसरा नम्बर 555 गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 593 से लगायत है परंतु आगे खातेदारी भूमि होने से राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है, खसरा नम्बर 555 का रास्ता आंशिक है।"* अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 555 गै0मु0 रास्ता होने बाबत अंकन किया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता कहां तक जाता है या किस खसरे की खातेदारी भूमि उक्त रास्ते से जुडती है इस बाबत उनकी मौका रिपोर्ट में कहीं कोई अंकन नहीं है। खसरा नम्बर 555 जब खसरा नम्बर 593 से लगता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त खसरे पर अपनी मौका रिपोर्ट में विस्तृत उल्लेख करना चाहिए था कि उक्त खसरा नम्बर आगे कहां तक जाता है व किन खातेदारों के खेत में जाकर बंद हो जाता है। इस बाबत उनके द्वारा कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा ना ही उनके द्वारा खसरा नम्बर 596 बाबत अपनी मौका रिपोर्ट में कहीं कोई उल्लेख किया गया है कि उक्त खसरा नम्बर से विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 593 व 594 में पहुंच हेतु दूरी निकटतम है या लघुत्तम इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। **रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत किया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किए जाने से रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।**

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अंराई जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 112/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित

सभी पक्षकारान को विधिवत तामील करवाते हुए, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए खसरा नम्बर 555 गै0मु0 रास्ता जो आगे खातेदारों के खेत में बंद हो जाता है उसकी आगे तक की रिपोर्ट का विवरण मौका रिपोर्ट में करते हुए तथा रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मीमो में बताया गया खसरा नम्बर 588 जो कि शामलाती कुआ है, जिससे सिंचाई की जाती है लेकिन खसरा नम्बर 588 की जमाबंदी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय इस बात को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करें कि खसरा नम्बर 588 शामलाती कुआ है तो कुए से रेस्पोडेंट के खेत तक सिंचाई हेतु मार्ग उपलब्ध है या नहीं इस बिंदु का उल्लेख करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर